फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट–थाना जहानगंज

दिनांक - 22.01.2026

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा पत्नी की चाकू मार कर हत्या करने वाले नामजद अभियुक्त को आला कत्ल 01 चाकू सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 10/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त सांचेलाल पुत्र स्व0 रामसनेही निवासी ग्राम खलासपुर जरारी थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ को आलाकत्ल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सांचेलाल पुत्र स्व0 रामसनेही निवासी ग्राम खलासपुर जरारी थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.01.2026 को अभियुक्त साचेलाल उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी की नाजायज सम्बन्ध की आशंका होने पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी गयी थी । सूचना पर वादी (मृतका के भाई) की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जहानगंज पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम सांचेलाल उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सांचेलाल उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मेरी पत्नी अनीता उर्फ नन्नी देवी के मेरे भतीजे से अवैध सम्बन्ध होने की आशंका होने के कारण मैंने अपने घर पर चाकू से गोद कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। शेष बयान अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त साचेलाल उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ।

बरामदगी का विवरण-

01. घटना में प्रयुक्त हुआ 01 अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष राजेश राय
2. का0 निरंकार सिंह
3. का0 सोनू सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 22.01.2026

एसओजी टीम/सर्विलांस टीम/थाना कम्पिल पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण को 54 किलो नाजायज गांजा (कीमत करीब 12 लाख 50 हजार रूपये) के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद फतेहगढ के थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण को 54 किलो नाजायज गांजा कीमत करीब 12 लाख 50 हजार रूपये के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अंकित शुक्ला उर्फ शंशाक पुत्र सूर्यप्रकाश निवासी नरकसा अम्बेडकर नगर थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
2. आयुष पुत्र सूर्यप्रकाश निवासी नरकसा अम्बेडकर नगर थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
3.ओमजी पुत्र नन्हें कठेरिया निवासी नारायणपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण : दिनांक 22.01.2026 को थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से अभियुक्तगण 1. अंकित शुक्ला उर्फ शंशाक उपरोक्त 2. आयुष उपरोक्त 3.ओमजी उपरोक्त को 05 ट्राली बैग नाजायज गांजा कुल वजन 54 किलो(कीमत करीब 12 लाख 50 हजार रूपये) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 13/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1. अंकित शुक्ला उर्फ शंशाक उपरोक्त 2. आयुष उपरोक्त 3.ओमजी उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब यह गांजा हम लोग पैसा कमाने के लिये अपनी सुविधानुसार सप्लाई करते रहते है तथा अपने जुर्म की माफी मांगते हुए शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 05 ट्राली बैग गांजा कुल वजन 54 किलो (कीमत करीब 12 लाख 50 हजार रूपये)

अभियुक्त अंकित शुक्ला उर्फ शंशाक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 13/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ।
2. मु0अ0सं0 79/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ।

अभियुक्त आयुष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 13/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ।

अभियुक्त ओमजी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 13/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष नितिन चौधरी
2. उ0नि0 दिनेश कुमार
3. उ0नि0 हरीश कुमार
4. का0 गुलशन ध्रुव
5. का0 कुलदीप शर्मा
6. का0 सुमित कुमार
7. आ0चा0 जयकुमार

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम:-

1. सचिन सिंह चौधरी (प्रभारी एसओजी)
2. हे0का0 करन यादव
3. हे0का0 तेजप्रताप
4. हे0का0 जितिन त्रिपाठी
5. का0 दिव्यांशु
6. का0 सौरभ धीमान
7. का0 धर्मेंद्र सिंह
8. का0 विकास चन्द्र
9. मु0आ0चा0 चंद्रशेखर

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीम:-

1. सन्तकुमार (प्रभारी सर्विलांस टीम)
2. क0ऑ0 अमित शर्मा
3. हे0का0 संदीप राव
4. हे0का0 मयंक दीप
5. हे0का0 अनुराग कुमार
6. हे0का0 सचेंद्र सिंह
7. का0 राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दि0-22.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान व " मिशन शक्ति 5.0 " के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अनुज कुमार राजपूत पुत्र भैयालाल निवासी ग्राम सूदन नगला थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ मु0अ0स0- 158/2017 वाद संख्या 86/2017 धारा 377 भा0द0वि0 व 4 पाक्सो एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए *मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट द्वारा दिनांक 22.01.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

एडीजीसी - श्री भानूप्रकाश मिश्र

को0मो0 म0का0 प्राची

पैरोकार हे0का0 श्यामजी

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

कोतवाली मोहम्मदाबाद

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना राजेपुर

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 181 1076 112 1098 102 108

थाना नवाबगंज

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

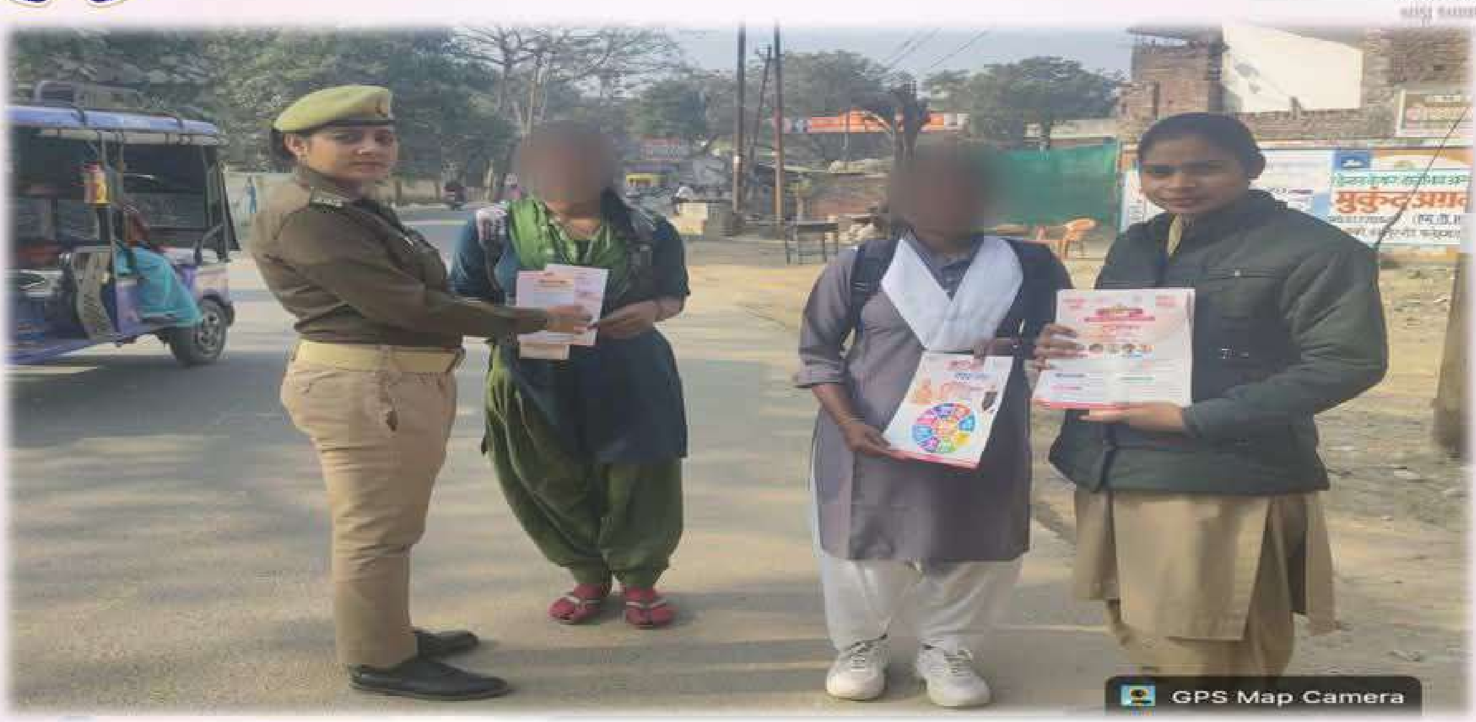

महिला थाना

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

1090

थाना मऊदरवाजा

#Fatehgarhpolice

1090
108
181
महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
102
1076
1098
112

मिशन शक्ति 5.0

थाना कम्पिल

\# Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0

थाना कादरीगेट

मिशन शक्ति 5.0

थाना कमालगंज